आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

भूमि विवाद निराकरण अपीलवाद सं0-71/2022

पारसनाथ गुप्ता...अपीलकर्त्ता

बनाम्

गौतम प्रसाद ....विपक्षी

30.06.2023

आदेश

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत अपीलवाद दायर करने के पश्चात् वाद के ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निधारित तिथियों में से अपीलकर्त्ता एक भी तिथि को उपस्थित नहीं हुए है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील दायर करने के पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा एक बार भी अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी है। आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि प्रस्तुत वाद को दिनांक 08.07.2022, दिनांक 02.09.2022, दिनांक 30.09.2022, दिनांक 23.12.2022, दिनांक 13.01.2023, दिनांक 03.02.2023 एवं दिनांक 16.06.2023 को भी सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें अपीलकर्त्ता द्वारा एक भी तिथि को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि वाद के निष्पादन के प्रति उनकी कोई वास्तविक अभिरूची नहीं है। ऐसे में अपीलकर्त्ता को कोई अन्य अवसर दिए जाने का कोई समुचित कारण है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।